उत्तर प्रदेश शासन,
ग्राम्य विकास अनुभाग-2
संख्या-38/2020/ सा0-244 /38-2-2020-41बी/2012
लखनऊ: दिनांक: 29 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33 सन् 1961) की धारा-3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या-5445/38-3-478/70, दिनांक 18 सितम्बर, 1972 का आंशिक उपान्तरण करके राज्यपाल जिला-**सम्भल** में विकास खण्ड **'बनियाखेड़ा'** का पुनर्गठन करती हैं और इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा-विनिर्दिष्ट विकास खण्ड **बनियाखेड़ा** के ग्रामीण क्षेत्रों का उपान्तरण करती हैं और यह निदेश देती हैं कि उक्त स्तम्भ-2 में उल्लिखित खण्डों में वे क्षेत्र होंगे जो नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रत्येक खण्ड के समक्ष उल्लिखित ग्राम पंचायत सर्किलों में सम्मिलित हैं।

अनुसूची

जिला का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत सर्किल, जिनसे खण्ड के क्षेत्र का गठन होगा	
1	2	3	
सम्भल	बनियाखेड़ा	1	कैथल
		2	आदमपुर
		3	करेली
		4	जैरोई हयातनगर
		5	पतरौआ
		6	पुरा
		7	बर्रई
		8	बुद्धनगर खण्डौआ
		9	मई
		10	रूस्तमगढ़ उगिया
		11	सैजनी
		12	मौलागढ़
		13	अकबरपुर चितौरी
		14	आटा
		15	जनैटा
		16	देवर खेड़ा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		17	नेहटा
		18	पथरा
		19	बाकरपुर भैतरी
		20	मऊ अस्सू
		21	वझावली उर्फ मझावली
		22	मौहम्मद गंज
		23	असलातपुर जराई
		24	अल्हेदादपुर चम्मू
		25	कोकावास
		26	खटेटा
		27	नगला पूर्वा
		28	फतेहपुर डाल
		29	भीकनपुर कुदईया
		30	मौहम्मद नगर कस्वा
		31	रहोली
		32	गुमथल
		33	अकरौली
		34	बनियाखेड़ा
		35	भुलावई
		36	मानकपुर नरौली
		37	रसूलपुर कैली
		38	खेडाखास
		39	सराय सिकन्दर
		40	बेहटा साहू
		41	अलावलपुर (आंशिक)- [अलावलपुर (आंशिक) में अवस्थिति राजस्व ग्राम-(1)अलावलपुर, (2) भटौर]
		42	फरीदपुर खास (आंशिक) - [फरीदपुर खास (आंशिक) में अवस्थिति राजस्व ग्राम-(1) फरीदपुर खास, (2) रामरायपुर]
		43	मौहम्मदपुर काशी
		44	पचाक
		45	गोपालपुर उर्फ उमरा (आंशिक)- [गोपालपुर उर्फ उमरा (आंशिक) में अवस्थिति राजस्व ग्राम-नसीरपुर नरौली]

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		46	धनुपुरा चण्डरौआ
		47	रतनपुर स्योंडारा
		48	बलकरनपुर
		49	छावड़ा
		50	धर्मपुर रत्ता
		51	मुडिया खेड़ा
		52	मल्हपुर भवानी
		53	जहांगीरपुर
		54	राजथल मैथरा
		55	भगतपुर मिर्जा
		56	सराय ज्वालापुरी
		57	लखनैटा
		58	बिचैटा काजी
		59	कुढ़फतेहगढ़
		60	दियौराखास
		61	रीठ
		62	गुरसरी
		63	बहोरनपुर टोडकपुर
		64	भगतपुर पहली
		65	दारनी
		66	फैजुल्लापुर
		67	अटवा चैंचरी
		68	मिठनपुर मौजा
		69	धर्मपुर कुईया
		70	पैगाराफातपुर
		71	गुरगाँव
		72	बेरनी
		73	खबरिया हुलासनगर।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-38/2020/ सा0-244(1)/38-2-2020-41बी/2012, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त संयुक्त/ विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- महानिदेशक, परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- संयुक्त सचिव, भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस अधिसूचना को उर्दू में अनुवाद कर असाधारण गजट में प्रकाशित कराने हेतु।
10- पुस्तकालयाध्यक्ष, विधान सभा पुस्तकालय, विधान सभा सचिवालय को 05 प्रतियां।
11- पंचायतीराज अनुभाग-1/2/3
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
13- विधायी अनुभाग-1
14- समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग।
15- समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

संख्या-38 /2020/ सा0-244(2) /38-2-2020-41बी/2012, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय शाखा मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को आगामी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड-ख के परिनियम आदेश में प्रकाशनार्थ प्रेषित। मुद्रित अधिसूचना की 500 प्रतियां कृपया ग्राम्य विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Uttar Pradesh Shasan
Gram Vikas Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-38 /2020/sa-244/38-2-2020-41B/2012, Dated: October 29, 2020.

NOTIFICATION

No.-38/2020/sa-244/ 38-2-2020-41B/2012.

Lucknow: Dated: October 29, 2020

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act. no. 33 of 1961) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904) and in partial modification of notification no. 5445/XXXVIII-3-478-70, dated September 18, 1972 as amended from time to time, the Governor is pleased to reorganise Vikas Khand Baniyakheda in district Sambhal and to modify the rural areas of Vikas Khand Baniyakheda as specified in column 2 of the Schedule below with effect from the date of publication of this notification in the Gazette and to direct that the Khands mentioned in the said column 2 shall consist of the areas comprising the Gram Panchayat circles mentioned against each Khand in column 3 of the Schedule below :-

SCHEDULE

Name of District	Name of Khand	Gram Panchayat circle which shall constitute the area of the Khand	
1	2	3	
Sambhal	Baniyakheda	1	KAITHAL
		2	ADAMPUR
		3	KARELI
		4	JAIROI HAYATNAGAR
		5	PATRAUWA
		6	PURA

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		7	BARRAI
		8	BUDDHNAGAR KHANDUA
		9	MAI
		10	RUSTAMGARH UGIYA
		11	SENJINI
		12	MAULAGARH
		13	AKBARPUR CHITORI
		14	ATTA
		15	JANETA
		16	DEWARKHEDA
		17	NEHTA
		18	PATHRA
		19	BAQARPUR BHAINTARI
		20	MAU ASSU
		21	VAJHAWALI URF MAJHAWALI
		22	MOHAMMAD GANJ
		23	ASALATPUR JARAI
		24	ALLEHDADPUR CHAMMU
		25	KOKAWAS
		26	KHATETA
		27	NAGLA PURVA
		28	FATEHPUR DAL
		29	BHEEKANPUR KUDAIYA
		30	MOHAMMAD NAGAR KASWA
		31	RAHOLI
		32	GUMTHAL
		33	AKRAULI
		34	BANIYAKHEDA
		35	BHULAWAI
		36	MANAKPUR NARAULI
		37	RASOOLPUR KAILI
		38	KHEDAKHAS
		39	SARAI SIKANDAR
		40	BEHTA SAHU

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		41	ALAVALPUR (PARTIAL)- [IN ALAVALPUR (PARTIAL) SITUATED REVENUE VILLAGES- (1) ALAVALPUR (2)BHATOR]
		42	FAREEDPUR KHAS(PARTIAL)- [IN FAREEDPUR KHAS (PARTIAL) SITUATED REVENUE VILLAGES- (1) FAREEDPUR KHAS (2) RAMRAIPUR]
		43	MOHAMMADPUR KASHI
		44	PACHAK
		45	GOPALPUR URF UMRA (PARTIAL)- [IN GOPALPUR URF UMRA (PARTIAL) SITUATED REVENUE VILLAGE- NASEERPUR NARAULI]
		46	DHANUPURA CHANDRAUA
		47	RATANPUR SYONDARA
		48	BALKARANPUR
		49	CHHAWADA
		50	DHARMPUR RATTA
		51	MUDIAKHEDA
		52	MALHPUR BHAWANI
		53	JAHANGEERPUR
		54	RAJTHAL MAITHARA
		55	BHAGATPUR MIRZA
		56	SARAI JWALAPURI
		57	LAKHNETA
		58	BICHETA QAZI
		59	KURHFATEHGARH
		60	DEORAKHAS
		61	REETH
		62	GURSARI
		63	BAHORANPUR TODAKPUR
		64	BHAGATPUR PAHELI
		65	DARNI
		66	FAIJULLAPUR
		67	ATWA CHENCHARI
		68	MITTHANPUR MAUJA
		69	DHARMPUR KUIYA

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		70	PAIGARAFATPUR
		71	GURGAON
		72	BERNI
		73	KHABARIA HULASNAGAR.

By Order,

Manoj Kumar Singh

Additional Chief Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।